an>

Ttile: Need to put in place a foolproof system to ensure safety of food items in the country.

श्री पी.पी.चौधरी (पाली) : महोदय, अभी हाल ही में पूरे देश में रेडी टू ईट फूड, फास्ट फूड, ड्रिंक्स, बोतल बंद पानी में खतरनाक पदार्थों की मानव स्तर से अधिक मात्रा के मुद्दे बड़े जोर-शोर से उठ रहे हैं। कई उत्पादों पर रोक भी लगाई गई है। कई उत्पादों की जांच सक्षम एजेंसियों द्वारा कराई गई परन्तु आज भी बड़ा प्रश्न यही है कि जो खाद्य पदार्थ इन जांचों की प्रक्रिया से बचे हुए हैं, उन्हें खाने से हमारी सेहत पर पड़ने वाले प्रभाव की मात्रा क्या है?

जंक फूड स्वास्थ्य के लिए और विशेषकर बच्चों के लिए हानिकारक है, ऐसा सभी समझते हैं परन्तु फास्ट फूड के अलावा बाजार में बिस्कुट, जूस, नमकीन जैसे अनगिनत खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें खाते समय आज देश का नागरिक अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहा है।

आज देश सरकार से जानना चाहता है कि किस प्रकार देश के नागरिकों की खाद्य पदार्थों के प्रति सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी? कई राज्यों में इन पदार्थों की जांच के लिए प्रयोगशालाएं तक नहीं हैं और जहां हैं, वे भी असक्षम हैं तथा अधिकतर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा नहीं करती हैं। सभी खाद्य पदार्थों की जांच को देश में एक ही एजेंसी के भरोसे छोड़े जाने पर भी प्रश्न उठता है क्योंकि इनके द्वारा मान्यता प्राप्त टेस्टिंग लेब खाद्य पदार्थों के लिए ही नहीं अपितु रबड़, पैट्रोलियम, रसायनिक आदि के लिए कार्य करती हैं तथा इनकी संख्या भी देशभर में नाम मात्र की है। इतनी कम लैबों पर देश भर की जांचों का दबाव होने के कारण गुणवत्तापूर्ण परिणाम प्राप्त होने पर भी संदेह किया जा सकता है। यह भी देखने में आया है कि एक ही पदार्थ की अलग-अलग जांच रिपोर्ट अलग-अलग बातें कहती है जो पूर्णतया विरोधाभासी है।

अत: सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि देश में मांस की जांच करने के लिए एक भी लैब नहीं है। अब वक्त आ गया है कि देश में एक ऐसा ढांचा तैयार किया जाए ताकि कोई भी खाद्य पदार्थ शत-प्रतिशत शुद्ध होने पर ही बाजार में बिकने के लिए आए और अगर फिर भी भविष्य में उसमें कुछ अस्वास्थ्यजनक पदार्थ पाए जाएं तो न केवल कम्पनी पर भारी जुर्माना हो बल्कि आपराधिक केस भी दर्ज किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष : श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत - उपस्थित नहीं।